न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर, जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ता (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

उनवान संख्या 07/2012

उनवान

छोटू पुत्र धन्ना सिह जाति रावत निवासी ग्राम बडलिया तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
2. मु0 हन्जा बेवा नाथा
3. शांति सिह पुत्र नाथा
4. महावीर सिह पुत्र नाथा
5. रमेश सिह पुत्र नाथा

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम बडलिया तहसील व जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक– 25.11.2019**

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य से प्रस्तुत किया कि वादी की राजस्व ग्राम बडलिया में संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 2841 रकबा 11 बिस्वा किस्म चाही ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसमें आने जाने का एक मात्र रास्ता आराजी खसरा नम्बर 1997 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 10 बिस्वांसी में से होकर है वादी की भूमि में वादी का कुआं एवं रिहायशी मकान बना हुआ है जिसका उपयोग उपभोग वादी वर्षो से करता चला आ रहा है। वादी एवं

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

तेदारो के आराजी खसरा नम्बर 2841 रकबा 11 बिस्वा, 2823 रकबा 13
6 रकबा 9 बिस्वा और 2931 रकबा 16 बिस्वा में आने जाने का एक
खसरा नम्बर 1997 में होकर आता है एवं लगभग 50 वर्षो से सभी सह
उक्त रास्ते से होकर ही अपने खेतो में आते जाते रहे है। राजसीन
ी अधिनियम की धारा 251 ए के प्रावधानो के अनुसार वादी एवं अन्य
ार खसरा नम्बर 1997 में से अपने खेतो में आने जाने हेतु रास्ते का
उपभोग करने के कानूनन अधिकारी है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त
ो बन्द किये जाने से वादी व अन्य सहखातेदारो को अपने खेतो में आने
ं अत्यन्त परेशानी का सामना करना पड रहा है जिसका मापन मुद्रा में संभव
है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खेत में आने जाने का रास्ता कतई बन्द कर
गया है एवं पत्थर की दीवार बनाकर दीवार पर तारबंदी कर दी गई है। वादी
खेत में जाने के रास्ते बाबत निवेदन करने पर प्रतिवादीगण द्वारा यह धमकी
कि उक्त खेत हमारी खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी पर रास्ता देना
री मर्जी पर निर्भर करता है आईन्दा रास्ते की मांग की तो तम्हें जान से मार
ो। उक्त रास्ता वादी व अन्य सहखातेदारो के खेतो में आने जाने का एक मात्र
स्ता है फसल की देखरेख, बुवाई–कटाई आदि के लिए ट्रेक्टर, ट्रक आदि वाहनो
ा भी जाने का एक मात्र रास्ता मुख्य सडक से खसरा नम्बर 1997 में से होकर
ही जाता है। इसके अलावा मौके पर अन्य कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में वादी व
अन्य सहखातेदारो द्वारा संयुक्त खातेदारी की आराजी में खरीफ की फसल बो रखी
है जिसकी भार, जोत, रखवाली, कटाई, निराई–गुलाई आदि के लिए आधुनिक
राधन ट्रेक्टर, कटाई मशीन, क्रेशर मशीन आदि के जाने हेतु रास्ते की उक्त खसरा
नम्बर 1997 की सख्त आवश्यकता है । परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रास्ते को
बन्द कर दिया गया है जिस कारण फसल की रखवाली, कटाई, निराई, गुढाई
संभन नही है। अतः वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1997
में से खेत पर आने जाने हेतु फसल की कटाई, निराई, गुढाई आदि कार्य हेतु 30
फुट रास्ता प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 नोटिस तामिल बावजूद गेर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक दिनांक 25.6.2016 को उपस्थित आये ।

अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनपुरी जवाब प्रस्तुत नही कर सीधे ही बहस कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है जिसमें तहसीलदार अजमेर की प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को पक्षकार सयोजित नही किया गया है। नाले की भूमि रास्ते के रूप में दिया जाना विधि विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अधिकारी

Scanned by CamScanner

पेरोकार सरकार ने तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रस्तावित रास्ता रास्ते में मिलता है उक्त मुख्य रास्ते के खसरा नम्बर 3388 रकबा 0.02 3/5969 रकबा 0.26 रेकार्ड अनुसार किस्म गै.मु. नाला दर्ज है तथा प्रार्थी ख खसरा नम्बर 3380 के लिए रास्ता चाहा गया है उक्त खसरा नम्बर प्रार्थी के नाम 1/5 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 3380 में ा पुराना मकान बना हुआ है उक्त मकान के सामने खसरा नम्बर 3281 पर नम्बर 3380, 3381, 3382, 3383 की सीमाओ से लगती हुई पक्की दीवार ुई है । खसरा नम्बर 3388 व 3388/5969 किस्म गेर मु. नाला अजमेर ा प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज होने से पक्षकार संयोजित नही किया गया ाथ ही निवेदन किया गया कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय रिपेक्ष्य में गेर मुमकिन नाला भूमि में से रास्ता दिया जाना सम्भव नही है। अतः ी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज ाक्ष्य का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 7.11.2019 अनुसार प्रार्थी खसरा नम्बर 3380 में 1/5 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है जो कि पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी से भी प्रमाणित है इसके बावजूद प्रार्थी द्वारा समस्त सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किया गया है साथ ही प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 3388 व 3388/5969 गेर मु. नाला में से रास्ता चाहा गया है जो कि अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज है प्रार्थी द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को पक्षकार नही बनाया गया है। जबकि मुख्य अनुतोश अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के विरूद्व रहा है नाला ही अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में गेर मु. नाला भूमि में से रास्ता दिया जाना सम्भव नही है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेशण अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 25.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner